

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2792
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2021
14 श्रावण, 1943 (शक)
राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र

2792. श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. उमेश जी जाधव:

श्री बी. मणिकम टैगोर:

श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री प्रताप सिम्हा:

श्री अनुराग शर्मा:

श्री रेबती त्रिपुरा:

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की स्कीम को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम और इसके घटकों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है जिसके लिए स्कीम शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) त्रिपुरा और गुजरात सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश विशेषकर झांसी और ललितपुर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों के चयन के लिए कोई पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) इस स्कीम के तहत कितने विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया है और उन्हें अनुदान जारी किया गया है: और

(च) प्रख्यात एथलीटों के उच्च प्रदर्शन के संबंध में उच्च स्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार हेतु सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग) : युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नवोन्मेष संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के दो घटक हैं: (i) एनसीएसएसआर केंद्र स्थापित करना और (ii) चुनिंदा विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में खेल विज्ञान विभाग और चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में खेल औषधि विभाग स्थापित करने के लिए सहायता (निधि) प्रदान करना। एनसीएसएसआर के उद्देश्य और लक्ष्य अनुबंध 'क' में संलग्न हैं। इस स्कीम के उद्देश्यों को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और देशभर के चयनित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और स्कीम की शुरुआत से 62.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। निधियां राज्य-वार स्वीकृत/ जारी नहीं की जाती हैं। इसके अलावा, स्कीम के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर स्कीम की समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ड) : प्रत्यायन, स्थायी संकाय, प्रकाशन/पेटेंट, निधि की आवश्यकता, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ-साथ उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और प्रस्तुतीकरण जैसे चयन मानदंडों के आधार पर, पूरे देश में एनसीएसएसआर स्कीम के तहत खेल विज्ञान विभागों और खेल चिकित्सा विभागों की स्थापना के लिए छह विश्वविद्यालयों/ संस्थानों और पांच मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया है। उन्हें जारी की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ख' में संलग्न है।

(च) एनसीएसएसआर स्कीम के माध्यम से दी गई सहायता के अलावा, इस मंत्रालय ने वर्तमान प्रदर्शन, पिछले प्रदर्शन, तुलनात्मक डेटा, वैश्विक विश्लेषण, प्रगति दर आदि जैसे विभिन्न शोध इनपुट के आधार पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत उत्कृष्ट एथलीटों के लिए अनुसंधान-आधारित चयन मानदंड अपनाया है। साथ ही, एथलीट के प्रदर्शन की लगातार निगरानी की जाती है, जो कि उनकी प्रगति के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्धारित बेंचमार्क है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत, यह मंत्रालय टीओपीएस कोर ग्रुप और डेवलपमेंट ग्रुप में चयनित एथलीटों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साई को ब्लॉक अनुदान प्रदान करता है।

एनसीएसएसआर स्कीम के लक्ष्य और उद्देश्य:

- खेल प्रदर्शन के संवर्धन, अनुरक्षण और वृद्धि के संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग ।
- खिलाड़ियों में अधिकतम संभाव्य क्षमता विकसित करना और उनके प्रतिस्पर्धी खेल करियर को बढ़ाना ।
- खेल विज्ञान सूचना का प्रसार ।
- खाद्य संपूरकों/ देशज खाद्यों का परीक्षण और प्रमाणीकरण ।
- खेल प्रदर्शन में आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक दवाओं का अनुप्रयोग ।
- खेलों में लगी चोटों का प्रबंधन और स्वास्थ्य लाभ ।

एनसीएसएसआर स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों के लक्ष्य और उद्देश्य:

- चुनिंदा विश्वविद्यालयों में एम.एससी. (खेल विज्ञान) और चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में खेल औषधि में एमडी और डिप्लोमा शुरू करना ।
- खेल विज्ञान और खेल औषधि के उपयोग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार ।
- खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता और खेलों में लगी चोटों से स्वास्थ्य लाभ ।
- खेल विज्ञान और खेल औषधि में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
- इससे खेल विज्ञान और खेल औषधि में प्रशिक्षित विशेषज्ञ कार्मिकों की संख्या में वृद्धि में सहायता मिलेगी जिससे विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम होगी ।

अनुबंध 'ख'

राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) की स्थापना के लिए जारी की गई निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	एनसीएसएसआर	जारी निधियां			
		वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	एनसीएसएसआर	5.5525	-	25.30	-

खेल विज्ञान विभाग को सहायता हेतु वित्तपोषण के लिए चयनित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की सूची

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/ संस्थान	जारी निधियां			
		वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	2.42	2.23	1.90	0.18
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश *	2.27	-	-	-
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद	1.44	-	2.38	0.89
4.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	-	3.00	-	-
5.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	-	3.00	2.00	1.12
6.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	-	3.00	2.37	-
7.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख	-	-	-	1.75

* अब एनसीएसएसआर स्कीम का हिस्सा नहीं है ।

खेल औषधि विभाग* की सहायता हेतु वित्तपोषण के लिए चयनित विश्वविद्यालयों/ अस्पतालों/ मेडिकल कॉलेजों की सूची

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	मेडिकल कालेज/अस्पताल	जारी निधियां			
		वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21
1.	किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1.29	1.54	2.00	0.22
2.	स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली *	1.29	-	-	-
3.	पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा	-	2.50	2.00	0.06
4.	बंगलौर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलुरु, कर्नाटक	-	2.50	1.00	-
5.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, इम्फाल	-	2.55	2.00	0.47
6.	गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	-	-	3.55	-

* अब एनसीएसएसआर स्कीम का हिस्सा नहीं है ।
